वादी की और से श्री हरदीपसिंह नेहरा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 2 की और से श्री रामकुमार बिश्नोई आज दिनांक 28.09.2020 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सपठीत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तहसील हनुमानगढ़ के चक 18 एच.एम.एच. के खाता संख्या 2074–2077 तादादी 6.325 हैक्टर में "लिछमनराम पुत्र श्री हरभजराम" के स्थान पर "अशोक कुमार लाटा पुत्र श्री हरभजराम" को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुहर

मिलान किया

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner